

FORM No. III

Crime-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)



अज अदालत...सहायक कलक्टर, मुकाम...खीवसर...

किसनाराम बनाम लुम्बाराम

किस्म मुकदमा...राजस्व वाद बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा वाद अधीन

धारा 53,88,188 आरटीएक्ट

मु. नं...147.सन्.2017.

<p>हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज</p> <p>28.11.2017</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम की तामील में जारी हुए</p>
	<p>वादी ने जरीये वकील प्रतिवादीगण के विरुद्ध राजस्व वाद बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी, स्थाई निषेधाज्ञा वाद अधीन धारा 53,88,188 आरटीएक्ट के तहत प्रस्तुत किया । जो दर्ज रजिस्टर हो, तथा प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस से वास्ते जबाबदेही बाबत तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 18.12.2017 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  सहायक कलक्टर खीवसर </p> <p>18.12.17-</p> <p>पत्रावली पेश करने वाली उभय पक्षों के 1 to 4, 6, 8 की - वस्तुओं के 21- प्रकटित करने के - कारणों का मसौदा पेश किया, किन्तु पत्रावली तलब के तहत 13 मिनट - 21.2.18 को पेश की</p> <p style="text-align: center;">  सहायक कलक्टर (SDO), खीवसर </p> <p>21/2/18 पत्रकार/... उपस्थित</p> <p>पत्रावली... पर मये... 28/5/18 को प्रस्तुत किया</p>	

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

79/11/22 परावली के आधकता

पैठासीन अधिकारी जी पीटिंग में/प्रमाण/
व्यानन्तरण हो चुका है/अवकाश पर गये हुए
है। परावली उनके समय दिनांक 25/11/22
प्रस्तुत हो।

25/11/22 परावली के आधकता में/प्रमाण/
व्यानन्तरण हो चुका है/अवकाश पर गये हुए
है। परावली उनके समय दिनांक 27/7/22
प्रस्तुत हो।

27/7/22 परावली के आधकता में/प्रमाण/
व्यानन्तरण हो चुका है/अवकाश पर गये हुए
है। परावली उनके समय दिनांक 1/11/22
प्रस्तुत हो।

1-11-22

परावली पैसा, कुलाम उपरिचर
अप्रवीण हो धार-धार आवाज दी गयी
मगर गैर साजिर। अप्रवीण के बिना
एक पहली शर्कारी अफसर है जारी गयी,
धार-धार आवाज देने के बावजूद ही
उपरिचर नहीं होने के कारण वादी का
वाद एवं अउपर बलेम कदम
जैरवी श्व कदम साजरी में रकड़ि
किम जिये।

परावली पैसाल शुमार होकर
नम्बर से कम होकर धार जाणा
कारिबल टफर हो।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) खीसर